उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन
ल_ख_न_ऊ

सं0 1618 -का. वि. नी./राविप-29/98-29पी/89 दिनांक 29 सितम्बर, 1998

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

परिषद के अवर अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता विषयक परिषदाज्ञा सं0 681/कार्मिक-9/एसईबी-83-5एनजी/79 दिनांक 16.2.83 सपठित सं0 2895-कार्मिक-9(ए)/एसईबी-83-5एनजी/79 दिनांक 17.5.83 एवम् सं0 263-के-9(ए)/एसईबी/85-5एनजी/79 दिनांक 21.01.85 एवम् सं0 965-पी/राविप-तीस-4पी/1986 दिनांक 19.6.1984 के आंशिक संशोधन में दिनांक 1.4.1979 से लागू प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समयबद्ध वेतनमान की योजना को एतद्द्वारा 9-6-5 वर्षों की योजना के स्थान पर 9-5-5 वर्षों की योजना में इस प्रतिबन्ध के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है कि 9(नौ) वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम समयबद्ध वेतनमान परन्तु दिनांक 1.4.1979 से पूर्व नहीं, 14(चौदह) वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय समयबद्ध वेतनमान परन्तु दिनांक 1.4.1979 से पूर्व नहीं तथा 19 (उन्नीस) वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान परन्तु दिनांक 1.12.87 से पूर्व नहीं अनुमन्य होंगे। सन्दर्भित परिषदादेश एवम् तद्विषयक परिषदादेशों के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

2- समयबद्ध वेतनमान की योजना में उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने के फलस्वरूप पारिषदीय सेवकों को वेतन निर्धारण के लाभ के अतिरिक्त दिनांक 31.12.95 तक किसी भी बकाये का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

3- दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों में उच्चतम् स्तर प्राप्त करने वाले कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि उपलब्ध कराने हेतु उच्चतम् स्तर के बाद तीन वेतन वृद्धियां विस्तारित वेतनमान के रूप में अनुमन्य होंगी जिसे मूल वेतन माना जायेगा। उक्त वेतन वृद्धियां समयबद्ध वेतनमान में अनुमन्य नहीं होंगी। यह वेतन वृद्धियां केवल साधारण वेतनमान में ही अनुमन्य होंगी।

<u>अध्यक्ष</u>

<u>सं0 1618(1) का.वि.नी./राविप-29/98 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव।
2- मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव।
3- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, विधान भवन, लखनऊ।
4- समस्त मुख्य अभियंता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।
5- समस्त महा प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।
6- समस्त महा निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद।
7- समस्त नियंत्रक (लेखा स्कंध), उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
8- समस्त मुख्य लेखा अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
9- समस्त अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
10- समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद।
11- परिषद सचिवालय के समस्त अनुभाग/शिविर/निजी सचिव।
12- उप महालेखाकार, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
(मोहम्मद अहमद)
अनु सचिव